न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी अरविन्द कुमार जाखड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 25 / 2022 / बाड़मेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
1. सगराम पुत्र राधूराम	बनाम	1.बांकाराम पुत्र गुमनाराम
2. प्रकाश कुमार पुत्र रणजीता		2.बुलाराम पुत्र गुमनाराम
3. भरत कुमार पुत्र रणजीता		3.धीराराम पुत्र गुमनाराम
4. पार्वतीदेवी पत्नी रणजीता		4.ईशराराम पुत्र गुमनाराम
5. मालूक पुत्र जोधाराम जातियान भील निवासी मोगावा तहसील सेड़वा		5.रामचन्द्रराम पुत्र गुमनाराम 6.थानाराम पुत्र गुमनाराम जातियान जाट निवासी मोगावा तहसील
6. धर्मीदेवी पत्नी हीराराम जाति भील निवासी रामपुरा एकल तहसील सेड़वा		7.ताजूराम पुत्र लाखाराम जाति जाट निवासी बैरड़ी तहसील सेड़वा 8.राज्य सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार सेड़वा

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी सेड़वा द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 92 / 2021 बअनवान बांकाराम बनाम सगराराम वगै. में पारित आदेश दिनांक 17.12.2021।

उपस्थित

1. वकील श्री फताराम गोदारा अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री केसाराम चौधरी रेस्पोडेण्ट संख्या 01 से 06 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 07.03.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट की खातेदारी का खेत मौजा मोगावा पटवार क्षेत्र हाथला तहसील सेड़वा के खेत खसरा संख्या 73 रकबा 49.19 बीघा किस्म बा.सो. का आया हुआ है जिसमें उतरदातागण संख्या 01 से 06 ने नया रास्ता मांगा है जबकि इन उतरदातागण द्वारा कभी भी अपीलांट के खेत से आने जाने के लिए इसी रास्ते का आज दिन तक उपयोग नहीं किया गया है। उतरदाता संख्या 01 से 06 का आना जाना अपीलांट के इसी खेत की दक्षिणी सेढा पर रहता है। अब उतरदातागण ने अपीलांट को नुकशान पहुंचाने के लिए व उनका खेत खराब करने के लिए खेत के बिचो बीच नया रास्ता निकालने के लिए हस्तगत आवेदन पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के विरूद्ध एकपक्षीय

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

कार्यवाही अमल में लाई जाकर अपीलाधीन आलोच्य आदेश कैम्प कोर्ट में पारित किया गया जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस मौका फर्द के अनुसार अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। उपरोक्त मौका रिपोर्ट में कही पर भी वैकल्पिक रास्ता होना अंकित नहीं किया है। जबकि रेस्पोडेंट के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने के बावजूद भी अपीलांटगण को परेशान करने के लिए हस्तगत आवेदन पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन जिस मौका रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए पारित किया उक्त मौका रिपोर्ट अपीलांट की अनुपस्थिति में एकपक्षीय रूप से तैयार की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश कैम्प कोर्ट में अपीलांटगण की अनुपस्थिति में पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय क सिद्धांत के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना तथा निकटतम रास्ते के विकल्प का अभाव सिद्ध किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। अतः अपीलांट की अपील को स्वीकार फरमाया जावे।

रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए जो रास्त प्रस्तावित किया गया उसके अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेंट को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस मौका फर्द को ध्यान में रखते हुए पारित किया गया उक्त मौका फर्द को तैयार करते वक्त अपीलांट को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश कैम्प कोर्ट में पारित किया गया लेकिन कैम्प कोर्ट में

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

अपीलांट को उपस्थिति बाबत कोई नोटिस/सूचना नहीं दी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश अपीलांटगण की अनुपस्थिति में एकपक्षीय रूप से पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए अपीलांटगण की खातेदारी भूमि को दो टुकड़ों मे विभाजित किया गया जो कतई स्वीकार्य नहीं है। राजस्थान काश्तकारी(सरकारी) नियम, 1955 की धारा 251ए किसी खातेदार की जोत के टुकड़े कर असुविधा पैदा करने की अनुमति नहीं देता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जो विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजाता अवलोकन किये बिना जल्दबाजी में अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील आंशिक स्वीकार कर प्रकरण को रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांटगण आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 92/2021 बअनवान बांकाराम बनाम सगराराम वगै. में पारित आदेश दिनांक 17.12.2021 को अपास्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा को आदेशित किया जाता है कि खसरा संख्या 73 के सेढे–सेढे रास्ता दिये जाने हेतु बाद समुचित सुनवाई एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 की धारा 251 ए को प्रभाव देने के लिये बनाये गये नियम 69 एवं 70 की पूर्णतया पालना करते हुये अधिकतम तीन माह में विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को निर्देशित किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.03.2022 को उपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 07.03.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर